

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

182)

क्रमांक:-प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 22 JAN 2020

FA-~~3989~~  
28-01-20

आदेश

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74, राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज राशि के ब्याज में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74, राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट विभागीय आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 18.07.2019 द्वारा प्रदान की गयी थी।

विभागीय आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 18.07.2019 की निरन्तरता में प्रदत्त छूट एतद्वारा दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बढ़ायी जाती है।

सभी प्राधिकरण, नगर विकास न्यास तथा राजस्थान आवासन मण्डल सुनिश्चित करेंगे:-

I. योजना का लाभ संभावित लाभार्थियों को प्रदान किये जाने के समुचित प्रयास किये जाकर कम से कम 90 प्रतिशत बकाया लीज राशि की वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उक्त एमनेरस्टी योजना की प्रगति/क्रियान्विति एवं प्राप्त राजस्व की नियमित समीक्षा किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

विभागीय अधिकारियों को बकाया लीज राशि की वसूली के पृथक-पृथक लक्ष्य आवंटित किये जावे एवं यदि आवश्यकता हो तो विशेष कैम्प आयोजित कर अधिकतम वसूली सुनिश्चित की जावे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101906192 दिनांक 21.01.2020 पर प्रदत्त सहमती के क्रम में जारी की जाती है।

राज्यपाल की/आज्ञा से,

मेरि  
(मनीष गोयल) 20  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजि सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
- निजि सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
- निजि सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
- निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
- निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नविवि।
- निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।

7. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजरथान सरकार।
8. संयुक्त शासन सचिव –प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
9. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
10. आयुक्त, राजरथान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. सचिव, समस्त नगर विकास, न्यास।
12. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
13. सलाहाकार (टी.पी.), नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभानीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
16. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजरथान सरकार।
17. रक्षित पत्रावली।

मम  
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2019-20/लीज छूट/89/264

दिनांक : 29/01/2020

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त आदेश (आदेश की छाया प्रति संलग्न) क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 22.01.2020 में दिये गये निर्देशों की अक्षरतः पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव— मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत्त ..... राज. आवा. मं., .....
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ..... राज. आवा. मं., .....
12. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. लेखाधिकारी (वृत्त) ..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त को मण्डल की वेबसाईट पर डिलाये व सभी को मेल करें।
15. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार